महत्वपर्ण / प्राथमिकता

संख्या-57 / 2022 / I / 156557 / 2022 / 71-1005(001) / 20 / 2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/ सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/गर्वनमेन्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा/ सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
5. समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
6. प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर।
7. निदेशक, राजकीय पैरा मेडिकल कालेज, झांसी।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक 15 अप्रैल, 2022

विषयः चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेजों के अंतर्गत कालेज आफ नर्सिंग में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत संचालित कालेज आफ नर्सिंग में शिक्षकों के मानकों को बनाये रखने तथा आई0एन0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तो को पूरा करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि शिक्षकों की उपलब्धतता बनायी रखी जाय। यदि आयोग द्वारा नियमित शिक्षक को उपलब्ध कराने में समय लग रहा है, तो संविदा के आधार पर इन शिक्षकों को तब तक के लिए नियुक्त किया जाय, जब तक कि लोक सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति हेतु शिक्षक उपलब्ध नही हो जाते। आई0एन0सी0 द्वारा संविदा पर तैनाती उन्हीं शर्तो के साथ अनुमन्य की गयी है कि इस प्रकार तैनात किये गये शिक्षक पूर्णकालिक हो। संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों की अर्हतायें नियमित रूप से भरे जाने वाले शिक्षकों के समान ही होगी। इस प्रकार प्रिसिपल कम प्रोफेसर, वाईस प्रिसिपल कम प्राफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिटेन्ट प्रोफेसर एवं ट्यूटर के रिक्त पदों के सापेक्ष भी कामचलाऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यवस्था के अंतर्गत संविदा के आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा ताकि पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों की उपलब्धता की अवधि तक संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को बनाये रखा जायेगा और जैसे-जैसे नियमित रूप से शिक्षकों की नियुक्तियां की जायेगी, वैसे-वैसे संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

2- उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त नर्सिंग कालेजों के सुचारू संचालन हेतु शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने हेतु एक सरल चयन प्रक्रिया का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

**(अ)**1- नर्सिंग कालेजों में प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन हेतु एक समिति का निम्नवत गठन किया जाय:-

1. अध्यक्ष।
2. सदस्य-अपर निदेशक(प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. सदस्य-शासन द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि।
4. सदस्य- शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति प्रतिनिधि।
5. सदस्य- शासन द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ।

2- चयन समिति द्वारा आवश्यकतानुसार स्क्रीनिंग करते हुए अभ्यर्थियों के एकेडेमिक उपलब्धि, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन की संस्तुति महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं ट्यूटर के पदों पर अर्ह अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (80:20) द्वारा चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी। लिखित परीक्षा भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की संस्था एडसिल से आयोजित करायी जायेगी। आवेदन प्रपत्रों को प्राप्त करना, निंग करना, एडमिट कार्ड निर्गत करना, परीक्षा कराना और परीक्षाफल तैयार कर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्राप्त कराने का दायित्व एडसिल का होगा।

4- लिखित परीक्षा में मानकानुसार अर्ह अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर साक्षात्कार की कार्यवाही हेतु एक समिति का निम्नवत गठन किया जायेगाः-

1. अध्यक्ष।
2. सदस्य- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।
3. सदस्य- शासन द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि।
4. सदस्य- शासन द्वारा नामित अनुसूचित जाति प्रतिनिधि।
5. सदस्य- शासन द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ।

5- लिखिल परीक्षा में मानकानुसार अर्ह अभ्यर्थियों का निर्धारण 1:3 के अनुपात में उपर्युक्तानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

6- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की चयन की संस्तुति महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- शासन द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेगें।

8- समस्त शैक्षणिक पदों पर विज्ञापन 01 माह का समय देते हुए प्रकाशन संबंधी कार्यवाही महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के स्तर से की जायेगी।

**(ब)** संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने वाले शिक्षकों को अन्य प्रदेशों में संचालित राजकीय/निजी क्षेत्र के नर्सिग कालेजों की भांति मानदेय का मानक निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित मानक इन नर्सिग शिक्षकों के अनुमन्य वेतन सीमा के अंतर्गत ही है। यह मानक संस्थानों पर लागू नही है, क्योंकि वहां पर एम्स के समतुल्य वेतन मिलते है। संस्थान चाहे तो उक्त मानक को अंगीकृत कर सकते है, जिससे प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों/संस्थानों में एक ही मानक लागू हो।

नियत मानदेय निम्नवत निर्धारित किया गया है:-

| क्र0 सं0 | पदनाम | संविद पर नियुक्त किये जाने वाले नर्सिग शिक्षकों का देय नियत मानदेय (रूपये) |
|---|---|---|
| 1 | प्रिंसिपल कम प्रोफेसर | रू0 1,40,000/- |
| 2 | वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर | रू0 1,20,000/- |
| 3 | प्रोफेसर | रू0 1,00,000/- |
| 4 | एसोसिएट प्रोफेसर | रू0 80,000/- |
| 5 | असिस्टेन्ट प्रोफेसर | रू0 70,000/ |
| 6 | टयूटर | रू0 45,000/ |

(स)- आरक्षण का अनुपालन शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगा।

(द)- अर्हता का निर्धारण आई0एन0सी0 मानकानुसार किया जायेगा।

(इ)- आयु की गणना उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगी।

(ई)- संविदा के आधार पर नर्सिग संवर्ग के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नवत हैः-

(1) संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शैक्षणिक कार्मिको को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा, जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

(2) ड्यूटी 08 घण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नही की जायेगी।

(3) संविदा कार्मिको को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 दिन तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होगे।

(4) महिला संविदा कर्मियो को मैटरनिटी लीव, मैटेरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

(5) यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

(7) संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।

(8) संविदा कर्मी सेवा में विनियमतीकरण, स्थायीकरण, पेंशन, बोनस आदि सुविधाओ के हकदार नही होंगे।

(9) संविदा कार्मिक की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

(10) संविदा कार्मिक का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने और आवश्यकता होने पर कार्य एवं आचरण, सम्बन्धित के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हो, जो इनका कार्यकाल बढाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नही है, के आधार पर कार्यकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 01 वर्ष हेतु बढाया जा सकेगा।

(11) लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनित/नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इनकी संविदा सेवाये स्वतः समाप्त मानी जायेंगी।

कृपया चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेजों के अंतर्गत कालेज आफ नर्सिग में नर्सिग पाठ्यक्रमों के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के संबंध में उपरिवर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**9.** समस्त वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।

**10.** समस्त वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।

**11.** संबंधित कोषाधिकारी।

**12.** चिकित्सा शिक्षाअनुभाग-2, 3, 4

**13.** गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।